आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

बंदोबस्ती अपील वाद संख्या–189 / 2019

सन्नी कुमार

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.02.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.–8752 / 2015 में दिनांक 03.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के आदेश ज्ञापांक–406 दिनांक–17.10.2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित समादेश दिनांक 03.01.2019 में अंकित है कि:– **"This writ petition is disposed off with direction to the petitoner to seek statutory remedy before the competent authority as per law against the cancellation of his settlement, which shall be considered by competent authority in accordance with law and shall be disposed off expeditiously preferably within three months from the date of filing of such petition."** माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में वाद की अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को प्रश्नगत वाद के पोषणीयता पर सविस्तार सुना। सुनवाई	

WEB COPY NOT OFFICIAL

के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रस्तुत वाद बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर 2017 के आलोक में दायर है। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय में यह वाद दिनांक 10.07.2019 को दायर किया गया था एवं इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा दिनांक–06.12.2019 को अधिग्रहित भी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जिस समय यह वाद इस न्यायालय में दायर किया गया था उस समय बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर 2017 लागू था, जिसमें इस न्यायालय (आयुक्त) को इस वाद को सुनने की अधिकारिता थी। परन्तु उसके बाद ''**बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियमावली), 2019**'' के अधिसूचना दिनांक 17 सितंबर 2019 लागू हुई, जिसमें इसको सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। नई नियमावली के Chapter xvi (Appeal & Revision) के तहत नियम 67 के उपनियम (1) एवं (2) में निम्न प्रावधान किये गये है :–

(1) All Final order passed by Mining officer shall be appealable to the Collector within sixty days from the date of the order.

(2) All final orders passed by the Collector shall be appealable to the Mines Commissioner within sixty days from the date of the order.

सभी तथ्यों की जानकारी किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय में नहीं देने एवं कार्यालय की अनभिज्ञता के कारण ही यह वाद नई अधिसूचना लागू होने के लगभग 03 माह बाद वाद अधिग्रहित कर लिया गया जो **ab initio ultra vires** है। उपर्युक्त स्थिति में इस वाद में आयुक्त के स्तर पर सुनवाई करना या आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए, पोषणीयता के बिन्दु पर अस्वीकृत करते हुए अपीलकर्ता को सक्षम प्राधिकार के समक्ष ससमय वाद दायर करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL